



न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ० राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्या 30/17

निर्णय दिनांक: 23.07.2018

1. लाधुराम पुत्र भीयाराम जाति जाट निवासी लूणकरनसर जिला बीकानेर।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. गणपतराम पुत्र रामचन्द्र जाति बिनोई निवासी काकड़वाला तहसील लूणकरनसर जिला बीकानेर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, लूणकरनसर।

रेस्पोडेन्ट्

अपील विरुद्ध आज्ञा दिनांक 15-12-2016

उपखण्ड अधिकारी, लूणकरनसर

उपस्थिति:—

1. श्री श्यामदीन पड़िहार, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री तेजकरण गहलोत, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्
3. श्री नन्दराम कासनियो, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट् ने यह अपीलें उपखण्ड अधिकारी लूणकरनसर के आदेश दिनांक 15-12-2016 जिसके द्वारा अपीलांट् का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है, के विरुद्ध इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम)1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।
2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि काकड़वाला के खसरा नम्बर की 53.05 बीघा व डेलाना बड़ा के खसरा नम्बर की 154.02 बीघा पैतृक भूमि सिलिंग नियमों के प्रभाव में आने से अवैध विक्रय करके पैतृक खसरा नम्बर डेलाना की कुल 154.02 बीघा भूमि खातेदारी धारण की भूमि है। इसी प्रकार चक 6 बीएचएम में 12.08 बीघा कमाण्ड एवं चक 1 सीएसचडी में 7 बीघा कमाण्ड एवं 9.13 बीघा अनकमाण्ड इस प्रकार 16.10 बीघा आज भी रेस्पोजेन्ट के धारण की भूमि रही हैं रेस्पोजेन्ट द्वारा इन तमाम तथ्यों का छिपाते हुए साठ गांठ करते हुए दिनांक 27-08-2007 को धोखाधड़ी से मौके पर आज भी सिंचित काश्त होते हुए भी अनकमाण्ड के आधार पर वादगत् भूमि का स्मालपेच आवंटन करवाया गया है। रेस्पोजेन्ट द्वारा तमाम कृत्य तथ्यों को छिपाते हुए तथा अपने धारण की भूमि को छिपाते हुए वादगत् भूमि का आवंटन करवाया गया है। रेस्पोजेन्ट के उक्त कृत्य से राजकोष को भी हानि हुई है। प्रकरण में उक्त आवंटन से पूर्व ही चक 1 सीएचडी के मुरब्बा नम्बर 65/24 के किला नम्बर 23 ता 25 में से पहले स्मालपेच में आवंटन है तथा 1 बीघा मृतक रामचन्द्र के नाम से स्मालपेच आवंटन आवेदन रेस्पोजेन्ट द्वारा प्रस्तुत खारिज हो चुका है। ऐसी स्थिति में रेस्पोजेन्ट द्वारा आवंटन से संबंधित तमाम तथ्यों को छिपाते हुए धोखाधड़ी पूर्वक उक्त आवंटन करवाया गया है अतः दिनांक 27-08-2007 को चक 1 सीएचडी का अवैध स्मालपेच आवंटन निरस्त फरमाया जावे।

उन्होंने आगे बताया कि अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि के आवंटन से पूर्व बिना कब्जे की जाँच किये, रेस्पोजेन्ट के धारण की भूमि व सिलिंग सीमा से अधिक भूमि उनके धारण में होने के बावजूद भी वादगत् भूमि का आवंटन रेस्पोजेन्ट संख्या 1 को किया गया है। अदालत मातहत द्वारा तमाम कार्यवाही मात्र रेस्पोजेन्ट संख्या 1 को बेजा फायदा पहुँचाने की नियत मात्र से की गई कार्यवाही है। ऐसी स्थिति में अपीलांट का आवंटन निरस्त करते हुए प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जावे कि वे रेस्पोजेन्ट के धारण की भूमि जाँच सिलिंग कानून के तहत करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

मियांद के संबंध में अभिभाषक अपीलांट ने बताया कि अपीलाधीन आदेश राज्य हित, जनहित से संबंधित है। ऐसी स्थिति में जहाँ प्रकरण में राज्यहित के साथ-साथ जनहित भी प्रभावित हो वहाँ मियांद के बिन्दु को गौण करते हुए प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत अपील में मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अतः अपीलांट की अपील अन्दर मियांद शुमार की जावे।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि वादगत् भूमि से अपीलांट का कोई लेना-देना नहीं है। अपीलांट की भूमि उक्त चक में नहीं है। अपीलांट द्वारा केवल मात्र रेस्पोडेन्ट को तंग व परेशान करने की नियत मात्र से रेस्पोडेन्ट के विरुद्ध तमाम कार्यवाहियों की जा रही है। अपीलांट का कथन कि रेस्पोडेन्ट के धारण में सिलिंग सीमा से अधिक भूमि निहित है। इस बाबत् कोई दस्तावेजी रिकार्ड अपीलांट द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये है। रेस्पोडेन्ट के धारण में चक 1 सीएचडी के मुरब्बा नम्बर 65/24 के किला नम्बर 23 ता 25 की 3 बीघा अनकमाण्ड भूमि स्मालपेच आवंटित भूमि है। इसके अलावा इस चक में 7 बीघा कमाण्ड भूमि खरीदशुदा है व 9.10 बीघा अनकमाण्ड भूमि है। इस प्रकार 7 बीघा कमाण्ड व 12.10 बीघा अनकमाण्ड भूमि है। चक 6 बीएचएम में 12 बीघा कमाण्ड भूमि है। इस प्रकार कुल 19 बीघा कमाण्ड व 12.10 बीघा अनकमाण्ड भूमि है। इसी के साथ ग्राम डेलाना एवं कांकड़वाला में 100.11 बीघा बारानी भूमि है। इसके अलावा कहीं किसी प्रकार की कोई भूमि नहीं हैं अपीलांट द्वारा झूठे तथ्य प्रस्तुत करते हुए अदालत को गुमराह किया जा रहा है।

उन्होंने आगे बताया कि यदि अपीलांट रेस्पोडेन्ट के आवंटन से किसी प्रकार से पीड़ित है अथवा अपीलांट के कथनानुसार रेस्पोडेन्ट के धारण में पूर्व में सिलिंग सीमा से अधिक भूमि है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को सिलिंग कानून के तहत कार्यवाही की जानी चाहिए थी अथवा जिला कलेक्टर के समक्ष 22(3) के तहत कार्यवाही की जानी चाहिए थी। प्रकरण में अपीलांट रेस्पोडेन्ट के आवंटन से किस प्रकार प्रभावित है, साबित करने में अदालत मातहत व न्यायालय हाजा के समक्ष असफल रहे है। अदालत मातहत द्वारा पूर्ण विधिक प्रक्रिया को

अपनाये जाने के उपरान्त रेस्पोडेन्ट संख्या को आराजी जैर का आवंटन किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जाकर रेस्पोडेन्ट का आवंटन बहाल रखा जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) हस्तगत प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट को आराजी जैर चक 1 सीएचडी के मुर्ब्बा नम्बर 65/24 के किला नम्बर 23 ता 25 में स्मालपेच आवंटन किया गया, जिसकी अपील अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत करने पर अपीलांट की अपील खारिज की गई है। जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

(2) अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए रेस्पोडेन्ट को इगानप क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम 1975 के नियम 13(ए) के अध्यक्षीन अन्य प्रस्तावित भूमि चक 1 सीएचडी के मुर्ब्बा नम्बर 65/24 के किला नम्बर 23 ता 25 की 3 बीघा भूमि इस आधार पर आवंटित की गई कि आराजी जैर रकबाराज दर्ज रिकार्ड व निर्विवाद उपलब्ध है। रेस्पोडेन्ट द्वारा आदेश जैर अपील की पालना में निर्धारित राशि जमा करवाई जा चुकी है।

(3) प्रकरण में अपीलांट का यह कथन कि रेस्पोडेन्ट के धारण में पूर्व में ही सिलिंग सीमा से अधिक भूमि निहित है। ऐस स्थिति में अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट के धारण की भूमि की जाँच किये बिना ही वादगत भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट को किया गया है।

(4) हमने अदालत मातहत की पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। अदालत मातहत की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट द्वारा वादगत भूमि के आवंटन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत रखा था। अदालत मातहत द्वारा विधिक प्रक्रिया को अपनाते हुए वादगत भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट को किया गया है।

(5) प्रकरण में अपीलांट का कथन कि आवंटी द्वारा तथ्यों को छिपाते हुए वादगत् भूमि का आवंटन करवाया गया है। जबकि अपीलांट द्वारा ना तो अदालत मातहत के समक्ष ना ही न्यायालय हाजा के समक्ष यह तथ्य प्रस्तुत किये गये है कि वे स्वयं उक्त आवंटन से किस प्रकार प्रभावित पक्षकार है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील मात्र एक शिकायती प्रार्थना पत्र के रूप में परिलक्षित होती है। यदि अपीलांट के उक्त कथन को स्वीकार भी कर लिया जावे कि अपीलांट द्वारा अपने धारण की भूमि को छिपाते हुए वादगत् भूमि का आवंटन करवाया गया है, तो ऐसी स्थिति में अपीलांट उक्त आवंटन की शिकायत सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता था। अपीलांट इस अपील के माध्यम से किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

(6) प्रकरण में यदि अपीलांट वादगत् भूमि के आवंटन से प्रभावित पक्षकार है तो ऐसी स्थिति में अपीलांट को अपील के साथ धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना अपरिहार्य है। जैसा की अपीलांट द्वारा अपील के साथ धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में अभिभाषक रेस्पोजेन्ट द्वारा प्रस्तुत नजीर आरआरडी 1993 पेज 44 जिसमें स्पष्ट रूप से अभिलिखित है कि:-
Code of Civil Procedure, Section 96- The fact that a party is an aggrieved persons does not by itself entitle him to file an appeal if he was not a party to the dispute in the lower court - He must obtain the permission of the court for filing the appeal before actually doing so - An appeal filed without obtaining permission from the Court of appeal is incompetent and cannot be maintained.

हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट यह साबित करने में पूर्णतया असफल रहे है कि वे अपीलाधीन आदेश से किस प्रकार व्यथित है। अपीलांट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियांद अधिनियम में स्वमेव अभिलिखित किया गया है कि प्रकरण जनहित व राज्यहित से संबंधित है। ऐसी स्थिति में अभिभाषक रेस्पोजेन्ट द्वारा प्रस्तुत उक्त नजीर मामले पर पूर्णतया चस्पा होती है।

(7) प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश के माध्यम से यह माना है कि प्रकरण में जहाँ तक सिलिंग से ज्यादा भूमि होने का प्रश्न है, उसके लिए सिलिंग कानून के तहत अलग से प्रक्रिया एवं प्रावधान निहित है। प्रार्थी/अपीलांत उक्त प्रावधानों के तहत कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। अपीलांत आवंटन नियमों के तहत किसी प्रकार की राहत इस अपील के माध्यम से प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत आदेश है। जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

7. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांत की अपील खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी, लूणकरणसर दिनांक 15-12-2016 यथावत बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 23.07.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ० राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर